

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph 0141-2706550

क्रमांक: एफ7(4)अकाद/आकाशि/Online/जयपुर/2020/1300

दिनांक: 26 नवम्बर, 2020

प्राचार्य,
संबंधित राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय:- राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा आयोजित रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने हेतु कार्यमुक्त करने बाबत।
संदर्भ:- HRDC/2020/523 dated 23.11.2020.


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत उपनिदेशक, HRDC राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा Refresher Course in Research Methodology in Social Sciences and Humanities दिनांक 30.11.2020 से 12.12.2020 तक (ऑनलाइन मोड) आयोजित किया जा रहा है जिसमें भाग लेने हेतु संदर्भित पत्र द्वारा निम्नलिखित सह/सहायक आचार्यों को मनोनीत किया गया है-

क्र.सं.	नाम	विषय	महाविद्यालय
1.	बाबू लाल मीणा	भूगोल	लाल बहादूर शास्त्री, राज. महा., कोटपूतली
2.	ललिता शर्मा	अंग्रेजी	राज. शाकम्भर पी.जी. महा., सांभरलेक
3.	महेन्द्र कुमार थोरी	समाजशास्त्र	राजकीय जूंगर महाविद्यालय, बीकानेर
4.	मनोज कुमार सिनसिनवार	इतिहास	एम.एस.जे. राज. महा., भरतपुर
5.	राज कुमार बैरवा	राजनीति विज्ञान	एसपी.एन.के.एस. राज. महा., दौसा
6.	रेणु गौड़	अंग्रेजी	एसपी.एन.के.एस. राज. महा., दौसा
7.	समय सिंह मीणा	संस्कृत	वीर वीरमदेव राज. पी.जी. महा., जालौर
8.	विकास कुमार शर्मा	राजनीति विज्ञान	राजकीय महाविद्यालय, बूंदी
9.	विकास यादव	राजनीति विज्ञान	बी.एन.डी.राज. पी.जी. महा., चिमनपुरा
10.	विनय कुमार पिंजाणी	राजनीति विज्ञान	बाबू शोभाराम राज. कला महा., अलवर

प्राचार्य निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें :-


1. प्राचार्य केवल उन सह/सहायक आचार्यों को कार्यमुक्त करें जिन्हें सी.ए.एस. के तहत कोर्स करना आवश्यक हो।
2. संबंधित सह/सहायक आचार्यों ने यदि सी.ए.एस. के तहत वरिष्ठ/चयनित/पे-बैंड IV के लिये आवश्यक कोर्स कर रखे हैं तो वे प्राचार्य को लिखित में सूचित करें कि उन्हें कोर्स की आवश्यकता नहीं है। जो सह/सहायक आचार्य तथ्य छुपाकर कार्यमुक्त होंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। प्राचार्य द्वारा कार्यमुक्त किये गये सह/सहायक आचार्य द्वारा कोर्स में भाग नहीं लेने पर संबंधित सह/सहायक आचार्य के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ उस तिथि के पश्चात एक वर्ष तक कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।


(जी. के. सोनी) 26.11.20

संयुक्त निदेशक(अकादमिक)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है-

1. उप निदेशक HRDC, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को पत्र क्रमांक HRDC/2020/523 dated 23.11.2020. के क्रम में।
2. संयुक्त निदेशक (एचआरडी) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।


(जी. के. सोनी) 26.11.20

संयुक्त निदेशक(अकादमिक)